न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

संख्या- 507/2002 वाद शीर्षक कन्हैयालाल बनाम रमेश

कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
28-1-2025 पत्रावली पेश हुई। वादी अधि० के जूनीयर अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रति० अधिवक्ता एस० एल० सद्दा उपस्थित। वादी की ओर से प्रतिवादी के वाद अबेटमेन्ट प्रा०पत्र का जवाब पेश किया गया जो शामील पत्रावली किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता को जवाब प्रा०पत्र की प्रति दिलाई गई। प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे यह जाहिर आया कि प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या -4 मे यह कहना कि "वादी संख्या-1 की मृत्यु को लगभग 7 वर्ष हो गये है एवं कायम मुकाम की कार्यवाही नही की गई है जिससे वाद उपशमित हो चुका है", गलत अंकित है। पत्रावली अनुसार दिनांक 12-1-2018 को वादी संख्या-1 के कायम मुकाम हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होकर दिनांक 12-1-2018 को ही प्रार्थना पत्र स्वीकार हो चुका है एवं दिनांक 22-2-2018 को संशोधित शीर्षक प्रस्तुत होकर पत्रावली संलग्न है। इसी प्रकार बिन्दु संख्या-5 में प्रतिवादी संख्या 7, 10, 11, 14, 15, 21, 24, 25, 30 की मृत्यु के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण की ओर से इससे पूर्व कभी कोई सूचना दिया जाना पत्रावली के अवलोकन से जाहिर नही होता है। जिससे मृत्यु की सूचना रिकोर्ड पर इससे पूर्व नही आने से प्रकरण के उपशमित होने की धारणा किया जाना उचित प्रतित नही होता है। किन्तु बिन्दु संख्या 8 मे वर्णित अनुसार वादी संख्या- 2 की मृत्यु के पश्चात वादी	

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट

दिनांक .... क्रमांक

प्रकरण : संख्या-

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण
	द्वारा आज दिनांक तक कायम मुकाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाना पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है। दिनांक 30/7/21 को वादी कन्हैयालाल अधिवक्ता द्वारा वादी संख्या 2 की मृत्यु की सूचना बाबत पत्रावली पर नोट अंकित किया गया है साथ ही दिनांक 10/1/2 को पुनः वादी संख्या-2 प्रेमचंद, उनकी पत्नी व पुत्र की मृत्यु होने का नोट वादी अधि० द्वारा अंकित किया गया है। इस प्रकार दिनांक 30/7/2021 से आज दिनांक तक लगभग 2½ वर्ष का समय गुजर जाने के बावजूद वादी अधिवक्ता द्वारा कायम मुकाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। वादी की ओर से प्रकरण में अधिवक्ता को [illegible] है। इसे आज दिनांक को भी वादी द्वारा केवल उपरोक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करना व कायम मुकाम प्रार्थना प्रस्तुत नहीं करना यह दर्शाता है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है एवं जानबूझकर का० मु० प्रा० पत्र प्रस्तुत नहीं कर रहा है।
	उपरोक्त विवेचनानुसार वादी संख्या-2 की मृत्यु के पश्चात 2½ वर्ष का समय गुजर जाने के बावजूद का० मु० प्रा० पत्र प्रस्तुत नहीं करने से न्यायालय का मत है कि वाद निर्धारित समय अवधि 90 दिन में कायम मुकाम प्रतिस्थापित नहीं होने से उपशमित हो चुका है।
	अतः प्रतिवादी अधि० का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद abate and Infructuous होने के कारण से कार्यवाही स्थगित कर उपशमित कर वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल

[न्या]लय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

[वा]द संख्या- 507/2002 वाद शीर्षक कन्हैयालाल बनाम रमेश

[दि]नांक	कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
	शुमार होकर नम्बर से कम होवे।	
	(हस्ताक्षर)	

Scanned with ACE Scanner